दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 15.01.2025
निर्णय सुनाया गया : 20.02.2025

नि.प्र.अ.(वाणिज्यिक) 25/2025
[RFA(COMM) 25/2025]

मेसर्स रीजेंट इंटरनेशनल .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री सुधींद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता

बनाम

प्रतीक धाम .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरमः
माननीय न्यामूर्ति श्री नवीन चावला
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

निर्णय

शालिंदर कौर, न्या.

सि.वि.आ. 2386/2025

1. सभी न्यायसंगत रियायतों के अधीन अनुमति दी जाती है।

सि.वि.आ. 2385/2025

2. वर्तमान आवेदन अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (*जिसे आगे 'सि.प्र.सं.' कहा जाएगा*) की धारा 151 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज रखने की अनुमति मांगी गई है।

3. आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर, आवेदन स्वीकार किया जाता है और इसका निपटान किया जाता है।

4. परिणामस्वरूप, अतिरिक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाते हैं।

<u>नि.प्र.अ.(वाणिज्यिक) 25/2025, सि.वि.आ. 2384/2025</u>

5. यह नियमित प्रथम अपील वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (जिसे आगे 'सीसीए' कहा जाएगा) की धारा 13 सहपठित सि.प्र.सं. की धारा 96 और 151 के अंतर्गत दाखिल की गई है, जिसका उद्देश्य दिनांक 04.10.2024 को जिला न्यायाधीश के न्यायालय (वाणिज्यिक न्यायालय-02), दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका, नई दिल्ली (विचारण न्यायालय) द्वारा सि.वा.(वाणिज्यिक) 505/2023, शीर्षक: ***प्रतीक धाम बनाम मेसर्स रीजेंट इंटरनेशनल*** में पारित निर्णय और डिक्री (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' कहा जाएगा) को चुनौती देना है।

6. आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा आदेश 37 नियम 3(5) सहपठित सि.प्र.सं. की धारा 151 के अंतर्गत दाखिल प्रतिरक्षा हेतु अनुमति का आवेदन अस्वीकार कर दिया और प्रत्यर्थी का

वाद ₹8,85,808.13/- की राशि सहित 9% वार्षिक ब्याज के साथ, दिनांक 20.11.2021 से वास्तविक वसूली की तिथि तक, डिक्री कर दिया। इसके अतिरिक्त, वाद का व्यय भी प्रत्यर्थी के पक्ष में अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनिर्णीत किया गया।

<u>संक्षिप्त तथ्यः</u>

7. प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त वाणिज्यिक वाद दिनांक 31.10.2023 को माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया, जिसमें अपीलार्थी से ₹11,47,249/- की वसूली के साथ-साथ लंबित व भावी ब्याज 15% वार्षिक की दर से माँगा गया। वादपत्र में यह आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी मेसर्स आर.बी. ट्रेडर्स का स्वामी है, जो एक एकल स्वामित्व फर्म है और माल ढुलाई के व्यवसाय में संलग्न है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से उसकी फर्म की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु संपर्क किया और प्रत्यर्थी ने सेवाएँ प्रदान करने पर सहमति दी।

8. इसके अनुपालन में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को टर्मिनल संचालन सेवाएँ प्रदान कीं और दिनांक 31.03.2021 को ₹4,65,382/- की राशि हेतु चालान संख्या RB/OE/2021/041 जारी किया। उक्त राशि में से अपीलार्थी ने केवल ₹3,92,852/- का भुगतान किया, जबकि ₹72,350/- शेष रहा। तत्पश्चात्, प्रतिवादी ने दिनांक 03.08.2021 को ₹1,70,941/- की राशि हेतु एक और चालान संख्या RB/OE/2021/156 जारी किया, जिसका कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद, प्रतिवादी ने दिनांक 19.11.2021 को ₹6,42,517/-

की राशि हेतु तीसरा चालान संख्या RB/OE/2021/204 जारी किया। इस प्रकार आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ₹8,85,808/- की बकाया राशि के साथ-साथ वाद दायर होने की तिथि तक बकाया ₹2,61,441/- की ब्याज राशि का भी भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

9. वाद का सम्मन प्राप्त होने पर अपीलार्थी माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और दिनांक 17.02.2024 को निर्णय हेतु सम्मन प्राप्त होने के पश्चात्, अपीलार्थी ने दिनांक 29.02.2024 को सि.प्र.सं. के आदेश 37 नियम 3(5) के अंतर्गत सहायक दस्तावेज़ों सहित प्रतिरक्षा हेतु अनुमति का आवेदन दाखिल किया।

10. प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के आवेदन में अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि वादपत्र के अनुसार प्रत्यर्थी ने यह कहा है कि अपीलार्थी द्वारा ₹3,92,852/- का भुगतान किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लेखा पुस्तिका में ऐसा कोई भुगतान प्रदर्शित नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि मेसर्स आर.बी. ट्रेडर्स का स्वामी होने के अतिरिक्त, प्रत्यर्थी मेसर्स शिफ्ल प्रा. लि. नामक कंपनी से भी संबंधित है, जिसके ईमेल पते से अपीलार्थी के साथ समस्त पत्राचार किया गया। अपीलार्थी ने कहा कि वह प्रत्यर्थी तथा मेसर्स शिफ्ल प्रा. लि., जिसे प्रत्यर्थी की माता संचालित करती हैं, दोनों के साथ व्यवसाय कर रहा था और इस तथ्य को प्रत्यर्थी ने वादपत्र में छिपाया, अतः यह एक विचारणीय मुद्दा है।

11. अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के आवेदन में तीन अन्य विचारणीय मुद्दे भी उठाए, जो इस प्रकार हैं– प्रथम, प्रत्यर्थी ने दिनांक 03.08.2021 के चालान में पक्षकारों के बीच सहमत हुई राशि से अधिक का दावा किया और वास्तव में अपीलार्थी ने दिनांक 27.12.2021 के ईमेल द्वारा प्रत्यर्थी से नामे(डेबिट) नोट शुल्क समायोजित कर संशोधित चालान भेजने का अनुरोध किया, जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार नहीं किया; द्वितीय, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को 31.08.2021 को अमेरिका से आने वाले माल ढुलाई आदेश के संबंध में आगमन सूचना प्रदान नहीं की, जिससे अपीलार्थी को भारी क्षति हुई क्योंकि उसने प्रत्यर्थी द्वारा ब्याज व हर्जाने का अधिकार जताया था; अंत में, प्रश्नगत तीनों चालान अपीलार्थी द्वारा निपटाए जा चुके थे क्योंकि अपीलार्थी की सहमति के बिना प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के ग्राहकों से ₹2.5 लाख से अधिक की राशि प्राप्त की, जिसे प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की लेखा पुस्तिका में जमा नहीं किया, अतः अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी बकाया राशि का मुद्दा भी विचारण योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी ने बिना शर्त प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की।

12. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात्, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित की, जिससे व्यथित अपीलार्थी को वर्तमान अपील दाखिल करने के लिए विवश होना पड़ा।

<u>अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ:</u>

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथ्य और विधि दोनों दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के आवेदन में उठाए गए आधारों का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनेक विचारण योग्य मुद्दे शेष हैं, जिनके आधार पर अपीलार्थी प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है।

14. अधिवक्ता ने, वादपत्र में उठाए गए आधारों के अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत चालानों को छोड़कर प्रत्यर्थी ने कोई अन्य दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ अपनी एकल स्वामित्व फर्म मेसर्स आर.बी. ट्रेडर्स के माध्यम से व्यवसाय कर रहा था। इसके अतिरिक्त, मेसर्स शिफ्ल प्रा. लि. कंपनी, जिसके माध्यम से अपीलार्थी लेनदेन कर रहा था, को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

15. अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के आवेदन में यह तर्क भी प्रमुखता से रखा कि अपीलार्थी को माल ढुलाई कार्गो प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से ₹2.5 लाख की राशि प्राप्त करनी थी, किन्तु प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की सहमति के बिना उक्त भुगतान ग्राहक से प्राप्त कर लिया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन का निर्णय करते समय इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया।

16. अंततः, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिन चालानों के आधार पर प्रत्यर्थी ने वाद दायर किया है, उनमें पक्षकारों के बीच सेवा और भुगतान संबंधी कोई शर्तें या नियम नहीं हैं। चालानों में केवल उन मदों का उल्लेख है जिन पर शुल्क लगाया गया है, अतः उन्हें सि.प्र.सं. के आदेश 37 नियम 2(6) के अंतर्गत पक्षकारों के बीच लिखित अनुबंध नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में अनेक विचारणीय मुद्दे शेष हैं और इसलिए प्रतिरक्षा हेतु अनुमति का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

17. अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलीलें सुनने और अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेज़ों का परीक्षण करने के पश्चात्, इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु जो संक्षिप्त मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या उपर्युक्त वाद में कोई विचारणीय मुद्दे शेष हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2021 में प्रत्यर्थी से टर्मिनल संचालन सेवा प्राप्त की थी और यह तथ्य भी कि प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त वाद सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत तीन चालानों के आधार पर दायर किया था।

18. विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि विभिन्न विचारणीय मुद्दे उत्पन्न होते हैं और यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश 37 नियम 3(5)

के अंतर्गत दाखिल आवेदन में कोई विचारणीय मुद्दा नहीं है, और इसलिए अपीलार्थी को प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।

19. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पूर्व, हम आक्षेपित निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को उल्लेखित करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

> *"23. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने अपने वर्तमान आवेदन द्वारा कोई विचारणीय मुद्दा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण नीचे उल्लिखित हैं।*
>
> *24. प्रतिवादी ने वर्ष 2021 में वादी से टर्मिनल संचालन सेवाएँ प्राप्त करने और समय-समय पर भुगतान करने के तथ्य को विवादित नहीं किया है, जैसा कि उसके शपथपत्र के अनुच्छेद 2 में स्वीकार किया गया है। वादी ने सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत तीन चालानों के आधार पर वर्तमान वाद दायर किया है। प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के अपने आवेदन में प्रतिवादी ने चालान संख्या RB/OE/2021/041 दिनांकित 31.03.2021 ₹4,65,382/- तथा चालान संख्या RB/OE/2021/204 दिनांकित 19.11.2021 ₹6,42,517/- को चुनौती नहीं दी है।*
>
> *25. प्रतिवादी के अधिवक्ता का यह तर्क कि चालान संख्या RB/OE/2021/041 दिनांकित 31.03.2021 के लिए ₹3,92,852/- का आंशिक भुगतान वादी द्वारा दाखिल लेखा-पुस्तिका में प्रदर्शित नहीं है, अस्वीकार किए जाने योग्य है।*
>
> *26. मैंने लेखा पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है और उससे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने प्रतिवादी को चार अवसरों पर टर्मिनल संचालन सेवाएँ प्रदान कीं और इस प्रकार चार चालान उत्पन्न हुए। प्रथम चालान ₹20,566/- का था, जिसका भुगतान ठीक उसी राशि में किया गया है।*

27. इसके अलावा, ₹4,65,382/- हेतु चालान RB/OE/2021/041 के संबंध में, ₹20,499.57, ₹2,00,000/-, ₹1,00,000/- और ₹72,532/- की राशि विभिन्न तिथियों पर प्राप्त हुई है और यदि उक्त राशि को जोड़ा जाए तो यह ₹3,93,031.57 होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने गणना की त्रुटि के कारण उक्त राशि को ₹3,92,852/- अंकित किया है। उपर्युक्त चालान के विरुद्ध आंशिक भुगतान किए जाने के तथ्य को प्रतिवादी ने चुनौती नहीं दी है, जैसा कि उसके शपथपत्र के अनुच्छेद 4 से स्पष्ट है। अतः इस आधार पर कोई विचारणीय मुद्दा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रतिवादी से प्राप्त सभी भुगतान लेखा पुस्तिका में विधिवत अंकित हैं।

28. तीसरा, चालान RB/OE/2021/156 के संबंध में, प्रतिवादी ने यह आधार प्रस्तुत किया है कि वादी ने सहमति से अधिक राशि प्रभारित की है और डेबिट नोट शुल्क का समायोजन नहीं किया है।

29. उक्त चालान की राशि ₹1,70,941/- है और वादी ने अभिलेख पर दिनांक 30.07.2021 का चालान दाखिल किया है, जो टीमवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा वादी के नाम ₹1,68,109/- का जारी किया गया है। अतः प्रतिवादी पर ₹1,70,941/- का चालान अधिक राशि का नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी कंपनी अथवा फर्म सहमति से कम मूल्य का चालान जारी नहीं करेगी। यदि वादी ने टर्मिनल हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिवादी से लगभग ₹3,000/- अधिक वसूला है, तो इसे अत्यधिक शुल्क नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने अपने आवेदन में डेबिट नोट का विवरण, राशि अथवा कारण प्रस्तुत नहीं किया है। डेबिट नोट की प्रति भी अभिलेख पर दाखिल नहीं की गई है। दिनांक 27.12.2021 के ईमेल में भी डेबिट नोट का कोई संलग्नक नहीं है, यद्यपि उसमें उसका उल्लेख किया गया है। अतः किसी भी डेबिट नोट और उसके कारण के अभाव में कोई विचारणीय मुद्दा उत्पन्न नहीं होता।

30. अंततः, प्रतिवादी ने चालान SCP-G-1023/21-22 के आधार पर यह दावा किया है कि आगमन सूचना देने में विलंब

के कारण उसे हानि हुई और वह वादी से हर्जाने का दावा करने का अधिकारी है।

31. उक्त प्रतिरक्षा भी कोई विचारणीय मुद्दा उत्पन्न नहीं करती क्योंकि अभिलेख पर दाखिल प्रतिवादी और शिफ्ल प्रा. लि. के बीच पत्राचार से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त चालान प्रतिवादी और शिफ्ल प्रा. लि. के बीच लेनदेन से संबंधित है और वादी की एकल स्वामित्व फर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः यदि प्रतिवादी को उपर्युक्त चालान के संबंध में हर्जाने का कोई दावा है, तो वह शिफ्ल प्रा. लि. से किया जाना चाहिए, न कि वादी की फर्म से।

32. अंततः, प्रतिवादी ने अपने शपथपत्र के अनुच्छेद 10 में यह दावा किया है कि तीनों चालानों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और वे सभी निपटाए जा चुके हैं। किन्तु अभिलेख पर कोई भुगतान प्रमाण दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह प्रस्तुति कोई विचारणीय मुद्दा उत्पन्न नहीं करती। इसके अतिरिक्त, एक ओर प्रतिवादी चालान संख्या RB/OE/2021/156 की राशि को विवादित कर रहा है और दूसरी ओर यह दावा कर रहा है कि तीनों चालानों का भुगतान कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी विरोधाभासी दलीलें प्रस्तुत कर रहा है और इस प्रकार उसके पास कोई युक्तिसंगत प्रतिरक्षा नहीं है, जिसके लिए उसे प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

33. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन में कोई विचारणीय मुद्दा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर उसे बिना शर्त प्रतिरक्षा प्रदान की जा सके। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन निरर्थक है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप, वादी का वाद ₹8,85,808.13 की मूल राशि के लिए डिक्री किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वादी ने चालानों के आधार पर 15% वार्षिक ब्याज का दावा किया है, परंतु इस न्यायालय के मतानुसार 15% वार्षिक ब्याज अत्यधिक और अनुचित है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक भी इतनी उच्च दर से ब्याज नहीं वसूलते। अतः उक्त दावा अस्वीकार किया जाता है। हालाँकि, यह न्यायालय सि.प्र.सं. की धारा 34 के अंतर्गत अपने

विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और यह देखते हुए कि प्रश्नगत लेनदेन वाणिज्यिक है, ₹8,85,808.13 की मूल राशि पर 9% वार्षिक ब्याज दिनांक 20.11.2021 से भुगतान की तिथि तक प्रदान करना उपयुक्त समझता है। वाद का व्यय भी वादी के पक्ष में प्रदान किया जाता है।"

20. अभिलेख का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी का यह निवेदन कि चालान संख्या RB/OE/2021/041 दिनांक 31.03.2021 के प्रति ₹3,92,852/- की आंशिक राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया गया है, जो प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लेखा पुस्तिका में प्रदर्शित नहीं है, असत्य है। प्रत्यर्थी ने प्रतिरक्षा हेतु अनुमति के उत्तर में कहा है कि उक्त भुगतान एक साथ नहीं किया गया था, बल्कि विभिन्न तिथियों पर किया गया था और ₹3,92,852/- की राशि विधिवत लेखा पुस्तिका में अंकित है। अभिलेख पर प्रस्तुत लेखा पुस्तिका का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि चार भुगतान प्राप्त हुए हैं – ₹20,499.57/-, ₹2,00,000/-, ₹1,00,000/- और ₹72,532/-, जो कुल मिलाकर ₹3,93,031.57 होते हैं। जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया है, संभवतः वादपत्र में त्रुटिवश राशि ₹3,92,852/- अंकित कर दी गई है, जबकि वास्तविक राशि ₹3,93,031.57 है। उपर्युक्त चालान के विरुद्ध आंशिक भुगतान किए जाने के तथ्य को अपीलार्थी ने चुनौती नहीं दी है।

21. अब अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन में उठाए गए दूसरे आधार पर आते हैं कि प्रत्यर्थी न केवल मेसर्स आर.बी. ट्रेडर्स का स्वामी है,

बल्कि मेसर्स शिफ्ल प्रा. लि. नामक कंपनी भी संचालित करता है, जिसे प्रत्यर्थी की माता रेनु धाम चलाती हैं, और प्रत्यर्थी ने इस तथ्य को छिपाया है, अतः यह एक विचारणीय मुद्दा है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि यह विचारणीय मुद्दा है। न तो अपीलार्थी ने यह कहा है कि दोनों – एकल स्वामित्व फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी – का संयुक्त खाता संचालित किया जा रहा था, और न ही इसके संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर दाखिल किया गया है। मात्र यह तथ्य कि दोनों संस्थाओं के लिए एक ही ईमेल पता प्रयोग किया जा रहा था, अपीलार्थी के मामले को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ाता।

22. अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तीसरे आधार के संबंध में, कि प्रत्यर्थी ने अपनी सेवाओं के लिए अधिक राशि प्रभारित की है, जो अपीलार्थी को स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में भी अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह सिद्ध हो कि चालान संख्या RB/OE/2021/156 सहमति से अधिक है। दिनांक 03.08.2021 का चालान ₹1,70,941/- का है और प्रत्यर्थी ने उक्त चालान अभिलेख पर दाखिल किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टीमवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा प्रत्यर्थी के नाम ₹1,68,190/- का चालान जारी किया गया था। इसमें ₹3,000/- का अंतर है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि

प्रत्यर्थी ₹3,000/- अतिरिक्त राशि प्रभारित नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन में डेबिट नोट का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। डेबिट नोट के अभाव में इस संबंध में भी कोई विचारणीय मुद्दा शेष नहीं रहता।

23. अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन में अगला निवेदन यह किया गया है कि अगस्त 2021 में अपीलार्थी को अमेरिका से भारत आने वाला एक माल ढुलाई आदेश 31.08.2021 को प्राप्त होना था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को टर्मिनल संचालन सेवाओं हेतु नियुक्त किया और इसके लिए चालान SCP-G-1023/21-22 जारी किया गया। प्रत्यर्थी अपीलार्थी को कार्गो आगमन सूचना देने के लिए उत्तरदायी था, किन्तु निरंतर अनुरोधों के बावजूद प्रत्यर्थी ने आगमन सूचना प्रदान नहीं की और इस प्रकार अपीलार्थी का प्रतिदावा है। अभिलेख का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कथित हानि के संबंध में मात्र एक आरोप लगाया गया है, किन्तु उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, न ही कथित हानि की राशि का उल्लेख है, और न ही अपीलार्थी ने कोई वाद दाखिल किया है। यह लेनदेन अगस्त 2021 का था और तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। अतः इस संबंध में भी कोई विचारणीय मुद्दा शेष नहीं रहता।

24. अंततः, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए अंतिम आधार पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों चालान निपटाए जा चुके हैं और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी

की सहमति के बिना अपीलार्थी के ग्राहकों से ₹2,50,000/- से अधिक की राशि प्राप्त की, जिसे अपीलार्थी के खाते में जमा किया जाना चाहिए था। किन्तु अस्पष्ट निवेदन के अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त भुगतान कब और किस खाते में प्राप्त हुआ। इस संबंध में कोई भुगतान प्रमाण भी अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है। बिना किसी ठोस प्रमाण के ऐसा निवेदन भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

25. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने अपनी स्वयं की लेखा पुस्तिका अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है ताकि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लेखा पुस्तिका का खंडन किया जा सके। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का प्रतिरक्षा हेतु अनुमति आवेदन ठोस आधारों से रहित है और निरर्थक है। प्रस्तावित प्रतिरक्षा विश्वसनीय नहीं है और वास्तव में वर्तमान मामले में कोई विचारणीय मुद्दा उत्पन्न नहीं होता। अपीलार्थी ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण या वैध प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की है, जिसके लिए विचारण आवश्यक हो। यहाँ तक कि अतिरिक्त दस्तावेज भी अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाते। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, प्रत्यर्थी और मेसर्स शिफ्ल प्रा. लि. द्वारा समान ईमेल पते से ईमेल भेजे जाने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि पक्षकारों द्वारा कोई संयुक्त खाता संचालित किया जा रहा था। अतः उपर्युक्त स्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए, हम यह पुष्टि करते हैं कि अपीलार्थी प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

26. आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी निवेदनों पर विचार किया है और एक सुविचारित एवं विस्तृत निर्णय पारित किया है। अतः हमें आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

27. तदनुसार, अपील तथा लंबित आवेदनों को खारिज किया जाता है।

शालिंदर कौर, न्या.

नवीन चावला, न्या.

20 फरवरी, 2025/एफआरके/*वीएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*